Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

परसाराम आदि बनाम अन्नपूर्णा आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा 1834 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].12.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री श्यामदीन परिहार व धनपत गोड द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थी ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण विवादित भूमि वाके मौजा रोही मकड़ासर खसरा नम्बर 10,202,208,9 में कुल तादादी 22.9400 तथा खसरा नम्बर 2 तादादी 9.9700 हैक्टेयर खातेदारी भूमि में आगामी पेशी तक अप्रार्थीगण विशिष्ट भू–भाग का बेचान न करे एवं प्रार्थीगण के हक–हिस्से तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 10.01.2022 को पेश हो। [signature]	
10/01/22	पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. अवकाश / अन्य कार्यो में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 27/01/22 को पेश हो। [signature] रीडर	
19/01/22	पत्रावली आज प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र आगे नहीं [illegible] नोट प्रेस में खारिज करने हेतु निवेदन [illegible] स्वीकार किया प्रार्थना पत्र जरिये नोट प्रेस में खारिज [illegible] जाता है। प्रार्थना-पत्र इसी स्टेज पर नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित में शुमार होकर [illegible] संबंधित रिकार्ड हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर	

उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:23:33 IST
Reason: SelfAttested